

अधिष्ठाता कार्यालय
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय विदिशा

वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट का वार्षिक रख-रखाव
(कृपया निविदा प्रपत्र की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

निविदा प्रपत्र क्रमांक 5395

निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 500/- मात्र

दिनांक 23/Nov/2021

1. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है।
2. निविदा प्रपत्र अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय विदिशा की लेखा शाखा से ₹500/- नगद जमा कर या महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcvidisha.org से डाउनलोड (डाउनलोड किये गये निविदा दस्तावेज जमा करते समय निविदाकर्ता को कार्यालय की लेखाशाखा में 500 रु0 निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में अतिरिक्त देय होगा) दिनांक 24/11/2021 समय प्रातः 10:30 से कार्यालय की क्रयशाखा से प्राप्त किया जा सकते हैं। निविदा प्रस्ताव दिनांक 30/11/2021 शाम 05:00 बजे तक स्वीकार किए जावेंगे तथा (दिनांक 01/12/2021 को क्रय समीति के समक्ष दोपहर 01:00 बजे कॉलेज काउंसिल हॉल में खोले जावेंगे। जो निविदा प्रपत्र निर्धारित दिनांक 30/11/2021 को शाम 05:00 बजे तक प्राप्त होंगे, उन्हें ही खोला जावेगा। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक/कोरियर इत्यादि के कारण बिलंब के लिए निविदाकार स्वयं उत्तरदायी होगा। वाटर फिल्टर, वाटर कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट का अवलोकन किसी भी कार्यालय दिवस में किया जा सकता है।
3. निविदा तीन लिफाफा पद्धति पर आमंत्रित की जाती है, जिसमें प्रथम लिफाफा धरोहर राशि का, द्वितीय तकनीकी विड का एवं तृतीय लिफाफा वित्तीय ऑफर का होगा। धरोहर राशि के लिफाफे के ऊपर धरोहर राशि का लिफाफा तकनीकी विड के लिफाफे के ऊपर तकनीकी विड का लिफाफा एवं वित्तीय ऑफर के लिफाफे के ऊपर वित्तीय ऑफर का लिफाफा सुस्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। खुले हुए लिफाफे स्वीकार नहीं किये जावेंगे। तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर निविदा क्रमांक एवं निविदा का नाम अंकित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वच्छ अक्षरों में भरी जावें।

1.

4. प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि ₹ 5,000/ (₹ पाँच हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय विद्शिा के पक्ष में देय हो, संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में अन्य दो लिफाफे तकनीकी बिड एवं वित्तीय ऑफर के नहीं खोले जावेंगे तथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र-1 में संबंधित फर्म का नाम, फर्म के प्रोपराइटर का नाम, फर्म का पत्र व्यवहार का पता, फर्म का टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, फेक्स नम्बर, पेन नम्बर (PAN NO.) धरोहर राशि ₹ 5000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक क्रमांक दिनांक की जानकारी तथा प्रपत्र के साथ फर्म का जीवित पंजियन प्रमाण-पत्र पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा फर्म द्वारा अन्य शासकीय संस्थाओं में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि में न्यूनतम ₹ 1,00,000/- वार्षिक भुगतान सहित कार्य संतोषजनक तौर पर संपादित करने का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, फर्म का विगत दो वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण-पत्र, जीएसटी कर का पंजीयन प्रमाण-पत्र, विगत वर्ष का जीएसटी कर चुकता प्रमाण-पत्र एवं फर्म में कार्यरत् सर्विस इंजीनियरों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, उनके टेलीफोन /मोबाइल नम्बर की जानकारी संलग्न करना होगा। द्वितीय लिफाफे में उक्त पूर्ण वांछित जानकारी प्राप्त होने पर ही निविदाकर्ता को तकनीकी बिड में सफल माना जावेगा तथा उसका वित्तीय ऑफर का लिफाफा खोला जावेगा। निविदा प्रपत्र-1 संलग्न है।
6. तृतीय लिफाफे में प्रपत्र-2 में वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट के वार्षिक रख-रखाव हेतु एवं उल्लेखित सामग्री हेतु दरें दी जावेंगी। दरें जी0एस0टी0 के बिना रहेंगी। प्रथम न्यूनतम दर प्राप्तकर्ता से उक्त प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करने पर क्रमानुसार न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ताओं से उक्तानुसार निगोसिएशन किया जायेगा। इस प्रकार से न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकर्ता से सहमति प्राप्त होने पर उसे ही कार्यादेश दिया जायेगा। दरें स्वच्छ अक्षरों में भरी जावें। सभी दोबारा लिखी हुई जगहों पर अधिकृत निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। शब्दों एवं अंकों में लिखि हुई दरों में अंतर होने पर शब्दों में लिखी हुई दरों को ही मान्य किया जावेगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने के अधिकृत करने के अधिकार अधिष्ठाता कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय विद्शिा के पास सुरक्षित रहेंगे। दस्तावेज की प्रामाणिकता/पर्याप्तता के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय/विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय विद्शिा का निर्णय मान्य होगा।

8. निविदा स्वीकृत किए जाने की स्थिति में निविदाकर्ता को ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) की एफ0डी0 परफोरमेस गारंटी के रूप में जमा करना होगा तथा अनुबंध ₹ 500/- के स्टाम्प पेपर पर होगा। अनुबंधित दरें, अनुबंध किए जाने की तिथि से 12 माह के लिए लागू रहेंगी। इस अवधि के दौरान दरों में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। परफोरमेस गारंटी की राशि सेवा प्रदाय करता के साथ अनुबंध के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही वापस की जा सकेगी।
9. अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि अनुबंध होने के एक सप्ताह में लौटा दी जावेगी।
10. कार्यादेश जारी करने के उपरान्त निविदाकर्ता द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में परफोरमेस गारंटी की राशि जप्त की जाएगी।
11. निविदाकर्ता को वार्षिक रख-रखाव के अतंगत् वाटर फिल्टर, वाटर कूलर मशीन एवं आर.ओ.प्लांट की समय-समय पर सर्विसिंग, उसके पार्ट्स सुधारना और आवश्यकतानुसार नए पार्ट्स लगाने होंगे। रिपेयर पार्ट्स के लिए अलग से राशि भुगतान विभाग के द्वारा नहीं किया जायेगा। वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट की दुरुस्ती हेतु बदले जाने वाले पार्ट्स फर्म के पास अग्रिम रूप में उपलब्ध रहना चाहिए तथा वे उत्तम क्वालिटी के एवं संबंधित उपकरण है पार्ट्स भी उसी कंपनी का होना चाहिये, इसकी पुष्टि हेतु समय-समय पर लगाये जाने वाले पार्ट्स को सक्षम संस्था के माध्यम से चैक कराया जा सकेगा।
12. निविदाकर्ता की शिकायत फोन पर ही कराई जावेगी। निविदाकर्ता को एक ही फोन कॉल पर कम्प्लेण्ट अटैण्ड करना होगा। यदि कम्प्लेण्ट की समयावधि अर्थात् सुधार कार्य करने में 24 घण्टे से ज्यादा लगते हैं तो ऐसी दशा में निविदाकर्ता को किसी तरह का वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट स्टैण्डबाय के रूप में उपलब्ध करना होगा।
13. निविदाकर्ता के द्वारा कार्य के दौरान समय पर कॉल अटैण्ड नहीं करने पर यदि किसी मशीन का किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो इसके लिए उसे पूर्ण जिम्मेदार समझा जाएगा तथा मशीन की पूर्ण रिपेयरिंग का कार्य उसे करना होगा।
14. समय पर खराब उपकरण की रिपेयरिंग नहीं करने पर एवं स्टैण्डबाय नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रु0 के हिसाब से राशि अधिरोपित की जावेगी। उसी कार्य को अधिकतम सात दिनों में संपादित नहीं कराये जाने पर खुले बाजार से सुधार कार्य कराया जाता है तो इस कार्य में व्यय की पूरी राशि से कम कर ली जाएगी।
15. निविदाकर्ता को सामान्यतः माह में एक बार वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर. ओ प्लांट की सुरक्षात्मक जाँच, साफ-सफाई विभाग में ही करनी होगी एवं अपना जाँच प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर संबंधित अधिकारी को देना होगा तथा विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर भी रिपोर्ट में प्राप्त करने होंगे। यदि निविदाकर्ता के द्वारा प्रतिमाह जाँच की



रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो अनुबंध निरस्त कर परफोरमेंस गारंटी राशि जप्त की जा सकती है।

16. फर्म को प्रति माह किए जाने वाले नियमित रख-रखाव के लिए रजिस्टर विभाग में संधारित करना होगा। इसकी एक प्रति सुविधा के लिए फर्म स्वयं भी रख सकती है। देयकों का भुगतान इसी आधार पर प्रस्तावित होगा। रजिस्टर पर भी संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा।
17. प्रति माह किए जाने वाले नियमित सुरक्षा जाँच एवं साफ-सफाई के नहीं होने पर अनुबंध राशि का 5: प्रति माह कटौती कर लिया जाएगा।
18. वार्षिक रख-रखाव अंतर्गत वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट को यदि निविदाकर्ता सुधार हेतु विभाग के बाहर ले जाता है एवं यदि उसमें कोई टूट-फूट हो जाती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी व इसका कटौती अनुबंध राशि से किया जावेगा। साथ ही निविदाकर्ता को सात दिवस के अंदर उक्त सामग्री को सुधार कर वापस करना होगा। अन्यथा संबंधित सामग्री की कुल कीमत अनुबंध राशि से कटौती की जावेगी। सामग्री अधिष्ठाता कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय विदिशा के बाहर ले जाने की जानकारी संधारित रजिस्ट्रों में रखनी होगी एवं सामग्री की पावती देना होगी।
19. अनुबंध अवधि में रख-रखाव कार्य के दौरान अन्य सामग्री खराब होने की स्थिति में सेवा प्रदायकर्ता की पूर्ण जवाबदारी होगी। यदि सामग्री खराब होती है और निविदाकर्ता द्वारा उसे ठीक नहीं किया जाता है तो भी परफोरमेंस गारंटी राशि जब्त की जा सकेगी एवं अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
20. किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य सत्यापन के पश्चात ही देयक का भुगतान किया जाएगा।
21. समस्त वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट को चालू हालत में रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। स्वीकृत दरों के अनुसार वार्षिक संधारण की अनुबंधित राशि के 30% का भुगतान अनुबंध निष्पादन उपरांत कार्य प्रारंभ करने के 4 माह बाद किया जावेगा। 30% का भुगतान कार्य प्रारंभ करने के 8माह बाद द्वितीय किश्त के रूप में किया जावेगा। शेष 40% राशि का भुगतान कार्य समाप्त होने के बाद अंतिम किश्त के रूप में किया जावेगा।
22. निविदा अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष के लिए या नवीन निविदा होने तक मान्य रहेगी संस्था का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनो पक्षों की सहमति होने पर अनुबंध ठेका आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
23. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं होने पर अधिष्ठाता कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय विदिशा के द्वारा

4.

बिना किसी पूर्व सूचना के अवधि पूर्ण होने के पूर्व भी अनुबंध समाप्त किया जा सकता है एवं ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा जमा की गई परफोरमेंस गारंटी की राशि जब्त कर ली जावेगी तथा कार्य खुले बाजार से करने पर जो भी अधिक व्यय होगा, उसकी वसूली संबंधित निविदाकर्ता से भू-राजस्व के बकाया की तरह की जाएगी।



अधिष्ठाता

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा

प्रपत्र-1

वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट का वार्षिक रख-रखाव

(तकनीकी बिड- द्वितीय लिफाफे में रखें)

- 1/ संबंधित फर्म का नाम
- 2/ फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम
- यदि पार्टनरशिप फर्म है तो उसका
उल्लेख करते हुए पार्टनरशिप डीड
की प्रति संलग्न करें।
- 3/ फर्म का पत्र व्यवहार का पता
- 4/ फर्म का टेलीफोन/मोबाईल नम्बर
- 5/ पेन नम्बर (PAN NO.)
- 6/ जी0एस0टी0 पंजीयन क्रमांक
- 7/ फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक
- 8/ धरोहर राशि ₹ 5,000/- बैंक ड्राफ्ट
/बैंकर्स बैंक क्रमांक एवं दिनांक

टीप : निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/जानकारी अनिवार्य रूप से संलग्न करें :-

- 1/ फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र
- (नगर निगम/श्रमायुक्त/अन्य शासकीय संस्था का)
- 2/ भोपाल में कार्यालय/फर्म होने का प्रमाण
- 3/ पेन कार्ड की छायाप्रति

- 4/ फर्म द्वारा अन्य शासकीय संस्थाओं में न्यूनतम
तीन वर्ष की अवधि में न्यूनतम
₹ 1,00,000/- वार्षिक भुगतान सहित,
कार्य संतोषजनक तौर पर संपादित
करने कर कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र
- 5/ फर्म का विगत दो वर्षों का आयक
चुकता प्रमाण-पत्र।
- 6/ जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण-पत्र
- 7/ विगत वर्ष का सेवाकर /जी0एस0टी0
जमा प्रमाण पत्र (चालान/रसीद)
- 8/ फर्म कार्यरत इंजीनियरों का नाम
एवं शैक्षणिक योग्यता/मोबाइल न0
की जानकारी।

(सूची संलग्न करें)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म/एजेन्सी की सील सहित

-:: प्रपत्र-2 ::-

(दर पत्रक/वित्तीय ऑफर -तृतीय लिफाफे में रखें)

वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन एवं आर.ओ प्लांट का वार्षिक रख-रखाव

-:: भाग-एक ::-

वार्षिक रख-रखाव दरें

वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर कम्पनी:- (.....)

क्र०	सामग्री/कार्य	संख्या	वार्षिक दर (अंकों)	वार्षिक दर (शब्दों में)
1.	2.	3.	4.	5.
1	आर.ओ प्लांट 1000 LPH	02		
2	आर.ओ प्लांट 250 LPH	01		
3	वाटर फिल्टर, वाटर, कूलर मशीन	06		

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर सील सहित).....

निविदाकर्ता का नाम एवं मोबाइल नम्बर

फर्म/एजेंसी की सील सहित

नोट:- किसी भी प्रकार की कांट-छांट ओव्हर राईटिंग अथवा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार के नोट/शर्त लिखने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी।